रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234989
CG-DL-E-08042022-234989

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1646]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944
No. 1646]	NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1729(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद पुत्र हाफ़िज़ मुहम्मद सईद, जन्म की तारीख 25 अक्टूबर, 1975 निवासी लाहौर, पाकिस्तान लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का वरिष्ठ नेता है और लश्कर-ए-तैयबा की मौलवी विंग का प्रमुख है ;

और लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 5 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद आतंकवादियों की भर्ती करने, निधि संग्रहण और भारत तथा अफगानिस्तान में भारतीय हितों पर लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए जाने वाले हमलों की योजना बनाने और उनको कार्यान्वित करने में सक्रिय रूप से सम्मिलित रहा है ;

और हाफ़िज़ तल्हा सईद संपूर्ण पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न केन्द्रों का सक्रिय रूप से दौरा करता रहा है और अपने धर्मविषयक व्याख्यानों को प्रसारित करने के दौरान भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के विरूद्ध जिहाद के लिए उकसाता रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि हाफ़िज़ तल्हा सईद आतंकवाद में शामिल है और हाफ़िज़ तल्हा सईद उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अत:, केन्द्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“32. हाफ़िज़ तल्हा सईद ” ।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3833 (अ) तारीख 27 अक्टूबर, 2020 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

S.O. 1729(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Hafiz Talha Saeed, S/o Hafiz Mohammad Saeed, date of birth on the 25th October, 1975, resident of Lahore, Pakistan, is a senior leader of Lashkar-e-Taiba (LeT) and is the head of the cleric wing of the LeT;

And whereas, LeT is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 5;

And whereas, Hafiz Talha Saeed has been actively involved in recruitment, fund collection, planning and executing attacks by LeT in India and Indian interests in Afghanistan;

And whereas, Hafiz Talha Saeed has been actively visiting various LeT Centres across Pakistan and during his sermons propagating for jihad against India, Israel, United States of America and Indian interests in other western countries;

And whereas, the Central Government believes that Hafiz Talha Saeed is involved in terrorism and Hafiz Talha Saeed should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“32. Hafiz Talha Saeed ”.

[F. No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 3833(E) dated the 27th October, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.04.08 23:15:18 +05'30'